भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2478
उत्तर देने की तारीख-18/12/2023

व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना

2478. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के मेधावी छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करने का विचार है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ख): सरकार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित सभी श्रेणियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रही है। स्लॉट की संख्या, दी गई सहायता और पात्रता मानदंड सहित इन योजनाओं का विवरण निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग	वेबसाइट लिंक
1.	उच्चतर शिक्षा विभाग	https://www.education.gov.in/pm-usp-scholarships-education-loan
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	https://www.ugc.ac.in/page/scholarships-and-fellowships.aspx
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	https://www.aicte-india.org/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes

4.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	https://socialjustice.gov.in/scheme-cat
5.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx
6.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls_id=669&lid=825

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आईटीआई जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 3-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मूल निवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित बारहवीं कक्षा के बाद स्नातक की पढ़ाई अथवा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थाओं से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, व्यावसायिक कौशल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए, सत्र 2023-24 से प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस)/शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत प्रशिक्षण लेने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए ट्यूशन और परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है।

****